

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

सं०सं०-8/ज०सं०(नि०)ल० सि०, राँची- 10/2012/राँची, दिनांक -

संकल्प

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री मथुरा प्रसाद, कनीय अभियंता ने जबकि वे कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, लोहरदगा प्रतिनियुक्त भण्डरा प्रखण्ड के पद पर पदस्थापित थे, घोर अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता बरती है जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेख है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री मथुरा प्रसाद, कनीय अभियंता के विरुद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम-55 के अन्तर्गत विहित रीति से कार्यवाही की जाय।

2- श्री मथुरा प्रसाद, कनीय अभियंता से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान श्री रामदेव सिन्हा, अधीक्षण अभियंता(मो०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें, जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3- उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने के लिए कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०, लोहरदगा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4- प्रस्ताव पर प्रधान सचिव की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति के साथ :-

श्री रामदेव सिन्हा, अधीक्षण अभियंता(मो०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०, लोहरदगा/ श्री मथुरा प्रसाद कनीय अभियंता, भू-गर्भ जल सर्वेक्षण प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश र।

ह०।

(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक-

/राँची, दिनांक-

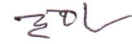
प्रतिलिपि - अनुबंध के की प्रति साथ श्री रामदेव सिन्हा, अधीक्षण अभियंता(मो०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०, लोहरदगा / श्री मथुरा प्रसाद कनीय अभियंता, भू-गर्भ जल सर्वेक्षण प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

2- जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे इस कार्यवाही का निष्पादन अधिक से अधिक दो माह के अन्दर सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करेंगे साथ ही साथ कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते रहेंगे एवं कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजा जाय।

3- प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया जाँच पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करें।

4- आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख/कागजात देखना चाहते हैं तो अद्योहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख लें और हर स्थिति में अपना लिखित बयान निर्धारित अवधि के अन्दर कर दें अन्यथा विलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

अनु०-यथोक्त।



सरकार के अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

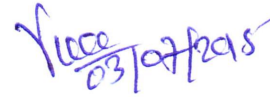
ज्ञापांक-

3772

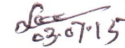
/राँची, दिनांक-

21-7-15

प्रतिलिपि-उपायुक्त, लोहरदगा/संयुक्त सचिव(प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची।


23.07.15